मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

मद कमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 98 तहसीलों में भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 187.60 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,87,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण कमांक 23,24,25,26/2004 एवं 22/2004 विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण एफ.टी.सी. कांकेर के अधिनिर्णय दिनांक 06-07-2005 में पारित आवार्ड की राशि रूपये 11.52 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,52,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद कमांक 3

राज्य शासन के निर्णयानुसार जिला कार्यालय के चार वाहनों को निष्प्रयोजित घोषित कर नीलाम से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा करने के फलस्वरूप अपर कलेक्टर बलौदा बाजार, गरियाबंद तथा अनु.अधिकारी भाटापारा एवं मुख्यालय रायपुर के लिए चार वाहनों के कय हेतु राशि रूपये 16.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।